उत्तराखंड उच्च न्यायालय
25 जनवरी 2021 को रणधीर सिंह पंवार बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड
निर्णय सुरक्षित रखा

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

2018 की रिट याचिका संख्या 4349 एस/एस)
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

रणधीर सिंह पंवार
पुत्र श्री सूरत सिंह,
निवासी 232 विकास लोक,
लेन नंबर 5, सहस्त्रधारा रोड,
अपर अधोईवाला, देहरादून
जिला-देहरादून .....याचिकाकर्ता

बनाम

छावनी बोर्ड, देहरादून और अन्य...प्रतिवादी

श्री यूके उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री संदीप कोठारी, अधिवक्ता की सहायता की याचिकाकर्ता.
श्री भागवत मेहरा, प्रतिवादियों के वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:

"(ए) प्रतिवादी सं0 02 के द्वारा रिकॉर्ड मंगाने और आदेश या निर्देश जारी करने की व पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति एक रिट दायर की है।

(बी) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिकॉर्ड मंगाने और पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति एक रिट दायर की है।

(सी) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिकॉर्ड मंगाने और पारित दिनांक 28.09.2018 को पारित आदेश को को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति एक रिट दायर की है, जिससे याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 07.10.2016 के आदेश के खिलाफ अपील की जा सके। अस्वीकार कर दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 20ण्10ण्1997 द्वारा शहीद मेख बहादुर गर्ल्स इंटर कॉलेजए गढ़ी कैंटए देहरादून में प्रवक्ता (समाजशास्त्र) के पद पर नियुक्त किया गया था। उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री थी और उम्मीदवार के पास बी.एड. होना चाहिए। डिग्री। वर्ष 2001 में उक्त विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को डिग्री प्रदान की गई। इसके बादए ए याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का प्रशंसापत्रए जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने व्याख्याता का पद हासिल किया हैए जाली और मनगढ़ंत है। उक्त शिकायत के आधार

परए स्कूल प्रबंधन समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है. उक्त आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ एमए समाजशास्त्र की योग्यता के संबंध में फर्जी दस्तावेजों के संबंध में आरोप तय किया गया है। इसके बादए वर्ष 2007 मेंए धारा 420 और 468 के तहत एक एफआईआर/मुकदमा अपराध संख्या 106ए 2007श्याम सुंदर नामक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन-कैंटए देहरादून में आईपीसी का मामला दर्ज कराया हैए जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। उक्त एफआईआर के अनुसरण मेंए जांच की गई और जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समयए जांच अधिकारी ने विशेष रूप से निष्कर्ष दर्ज किया कि कैंट कार्यालय में शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज। याचिकाकर्ता की बोर्डए देहरादून की आपत्तियां सही पाई गईं। इसके बादए 25.03.2015 को सीबीआई द्वारा एसपीईए सीबीआईए देहरादून में फिर से एक एफआईआर दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने जाली मास्टर डिग्री जमा करके अपनी नौकरी हासिल की। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के कारणए याचिकाकर्ता को दिनांक 10ण्04ण्2019 के आदेश द्वारा सेवा से निलंबित कर दिया गया था। 2015ण् इसके बादए 15.04.2015 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गयाए जिसमें उनके मूल दस्तावेजों को बुलाया गया और संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कई तारीखें तय की गईंए लेकिन न तो याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी के सामने उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दिया। . इसके बादए 09.02.2016 को संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक संचार जारी किया गया कि 18ण्02ण्2016 तक शैक्षिक प्रशंसापत्र कार्यालय में जमा किया जाए लेकिन याचिकाकर्ता ने जमा नहीं किया। संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज। इसके बादए संबंधित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध किया कि समान मुद्दों पर सीबीआई भी मामले की जांच कर रही हैए इसलिएए सीबीआई द्वारा जांच के निष्कर्ष तक अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएए लेकिन संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए और परिणामस्वरूप दिनांक 07ण्10ण्2016 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

3. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि उसे कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं लेकिन संबंधित प्राधिकारी ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारीए जिसने याचिकाकर्ता की जांच की थीए उसी रैंक यानी ग्रुप-सी का है, जिसमें याचिकाकर्ता था, जो नियमों का उल्लंघन हैए इसलिएए आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है। कानून की नजर. वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि वर्ष 2007 में, मामले की जांच की गई और कैंटोनमेंट बोर्डए देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की सत्यता की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके बाद इसी वर्ष इसी तरह के आरोपों पर सीबीआई द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई हैए वह नियमों का उल्लंघन है। . उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के फर्जी दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न विभागों में जांच की कार्यवाही चल रही है और इन जांच कार्यवाहियों में निर्णय लिए बिना, प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर दिए गए हैं।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना था कि सीबीआई ने याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वयं ही एफआईआर दर्ज की हैए इस आरोप पर कि याचिकाकर्ता के शैक्षिक दस्तावेज जाली थे और याचिकाकर्ता के खिलाफ एक स्वतंत्र विभागीय जांच में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। ऐसे में सीबीआई जांच का विभागीय जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

6. प्रतिवादी संख्या की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। 1 से 3 में कहा गया है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले, याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए गए थे और इसे कानून के अनुसार पारित किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहने के बावजूदए सत्यापन के लिए छावनी बोर्डए देहरादून को एमए (समाजशास्त्र) की मूल डिग्री कभी जमा नहीं की। आगे कहा गया है कि यह सच है कि सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हासिल की थी और जब विभाग ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए जांच कीए इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को विभागीय जांच पर विचार करते हुए दिनांक 10.04.2015 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था और छावनी बोर्ड ने इस मामले में छावनी निधि सेवक नियमए 1937 के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की है। यह आगे कहा गया है कि छावनी बोर्ड देहरादून मेंए कर्मचारी संवर्ग केवल समूह 'सी' और समूह 'डी' के अंतर्गत हैं और समूह 'बी' के अंतर्गत कोई पद नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, नियमों के अनुसारए दोषी अधिकारी की तुलना में रैंक, वेतनमान और ग्रेड में उच्चतर वरिष्ठतम कार्मिक/अधिकारी को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे कहा गया है कि छावनी परिषद देहरादून में कर्मचारी संवर्ग केवल समूह 'सी' और समूह श्डीश् के अंतर्गत हैं और समूह 'बी' के अंतर्गत कोई पद नहीं है। ऐसे परिदृश्य मेंए नियमों के अनुसार, दोषी अधिकारी की तुलना में रैंक, वेतनमान और ग्रेड में उच्चतर वरिष्ठतम कार्मिक/अधिकारी को जांचकर्ता

के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे कहा गया है कि छावनी परिषद देहरादून में कर्मचारी संवर्ग केवल समूह 'सी' और समूह 'डी' के अंतर्गत हैं और समूह 'बी' के अंतर्गत कोई पद नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, नियमों के अनुसार, दोषी अधिकारी की तुलना में रैंक, वेतनमान और ग्रेड में उच्चतर वरिष्ठतम कार्मिक/अधिकारी को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अधिकारी और याचिकाकर्ता के संबंध में, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीमती अनामिका शर्मा याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थीं, इसलिए उन्हें मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता कई बार किसी न किसी बहाने से जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। आगे कहा गया है कि छावनी बोर्ड ने उनके एमए (समाजशास्त्र) के प्रमाण पत्र के संबंध में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की है और विश्वविद्यालय ने छावनी कार्यालय को लिखित रूप में सूचित किया है कि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया गया था, जिसका अर्थ था कि छावनी परिषद देहरादून में प्रस्तुत प्रमाण पत्र की प्रति फर्जी एवं मनगढ़ंत है। आगे कहा गया है कि जांच रिपोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उसे कई अवसर दिए गए लेकिन याचिकाकर्ता ने कभी भी जांच रिपोर्ट पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आगे कहा गया है कि नियुक्ति के समय, याचिकाकर्ता ने अपनी एमए (समाजशास्त्र) की फोटो कॉपी और बी.एड डिग्री की अंक तालिका जमा की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी मूल प्रति जमा नहीं की, इसलिए उनका दावा है कि उन्होंने मूल जमा कर दी थी। छावनी परिषद देहरादून के कार्यालय में उक्त दस्तावेजों की प्रति पूर्णतया झूठी थी। आगे कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 08.06.2017 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की विभागीय अपील को पहले ही खारिज कर दिया है। आगे कहा गया है कि विवादित आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार पारित किए गए हैं।

7. जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों को नकारते हुए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया है। कहा गया है कि जांच पदाधिकारी ने बिना नियमावली का पालन किये जांच रिपोर्ट समर्पित कर दी है. आगे कहा गया है कि वर्ष 2007 में इस पर एफआईआर दर्ज करायी गयी थी समान आरोप और जांच अधिकारी ने मामले की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने छावनी बोर्ड के कार्यालय में दस्तावेजों का अध्ययन और अवलोकन किया है और खुद से संतुष्ट होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, देहरादून के समक्ष अपील की, लेकिन संबंधित प्राधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लिया और उसके बाद, उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील भी की। जिस पर अभी भी विचार चल रहा है.

8. याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि जिस जांच अधिकारी ने मामले में जांच की, वह उसी पद पर था जिस पर याचिकाकर्ता कार्यरत है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि वर्ष 2007 में मामले की जांच की गई थी और याचिकाकर्ता की प्रमाणिकता की सत्यता की जांच करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, समान आरोपों पर आगे की जांच कानून की नजर में

अस्थिर है। जवाबी हलफनामे से, यह स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार, दोषी अधिकारी की तुलना में रैंक, वेतनमान और ग्रेड में एक वरिष्ठतम अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और डॉक्टर श्रीमती अनामिका शर्मा, चिकित्सा अधिकारी उनसे वरिष्ठ थीं। याचिकाकर्ता, इसलिए, उसे मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, इस प्रकार, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आगे, छावनी बोर्ड, देहरादून में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के बाद नियमित पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की उक्त साख की वास्तविकता का पता लगाने के प्रयास नहीं किए। . इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील गलत है।

9. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलेगा कि एमए (समाजशास्त्र) की डिग्री के मूल प्रमाण पत्र की बार-बार मांग के बावजूद, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने स्कूल में अपनी सेवा सुरक्षित की, उसने जांच अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका में कहा था कि जांच के लिए कई तारीखें तय की गई थीं। अधिकारी लेकिन वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित न होने की अपनी गलती पर, याचिकाकर्ता यह आरोप नहीं लगा सकता कि जांच एक पक्षीय आयोजित की गई है। याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि उसके पास एमए की डिग्री की मूल प्रतियां हैं (समाजशास्त्र) और बी.एड. हेमवंती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय से डिग्री।

10. याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करना एक प्रशासनिक निर्णय है और न्यायालय को आमतौर पर प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ने यह दलील नहीं दी है कि उसके पास उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर न देने में नियोक्ता की कोई गलती नहीं है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी ऐसे आचरण का दोषी है जिसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता होगी। अनुशासनात्मक जांच के मामले में साक्ष्य के तकनीकी नियम लागू नहीं होते। जिस कारण "संदेह से परे सिद्ध" के सिद्धांत का कोई दुरूप्रयोग नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपराधी ने कदाचार किया है या नहीं, संभावनाओं की प्रबलता और रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री आवश्यक है।

11. जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संबंध हैए कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समयए अदालतें प्रशासनिक निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि वह अवैधानिक, अतार्किकता व प्रक्रियात्मक रूप से सही न होने के कारण प्रभावित न हो।

12. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, अदालतें प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं जब तक कि यह अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनौचित्य के दोष से ग्रस्त न हो। (2019) 10 एससीसी 738 में रिपोर्ट किए गए नगर परिषद, नीमच बनाम महादेव रियल एस्टेट और अन्य का संदर्भ लिया जा सकता है ।

13. ललित पोपली बनाम केनरा बैंक के मामले में , (2003) 3 एससीसी 583 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"17. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका अधिकार क्षेत्र कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए न्यायिक समीक्षा की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिससे अन्याय या प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। न्याय। न्यायिक समीक्षा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के समान नहीं है।

14. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मामले में । लिमिटेड बनाम अशोक कुमार अरोड़ा , (1997) 3 एससीसी 72 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

"सबसे पहले, यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय विभागीय जांच और उसमें दर्ज निष्कर्षों के ऐसे मामलों में अपीलीय अदालत/प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है, उदाहरण के लिए जहां यह पाया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने, उचित अवसर से इनकार करने के कारण आन्तरिक जांच दूषित हो गयी हो, पारित निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं और किसी कर्मचारी के साबित कदाचार के लिए सज़ा पूरी तरह से असंगत हो । इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जिन्होंने इस विषय पर कानून तय किया था और इन सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

15. किसी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है, इसका अधिकार क्षेत्र कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए न्यायिक समीक्षा की सीमाओं से घिरा होता है, जिससे अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। न्यायिक समीक्षा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के समान नहीं है। वर्तमान मामले में जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अंत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए, संबंधित प्राधिकारी के निर्णय में कोई दुर्बलता, कमी या गलती नहीं है। इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. यहां ऊपर दर्ज कारणों और निष्कर्षों के लिए, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है। रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज किये जाने योग्य है। इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

17. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(लोक पाल सिंह, जे) ममता दिनांक: 25.01.2021